10

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2011/03(120)/XXVII(8)/07
दिनांक:: देहरादून:: 31 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना/संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) व उपधारा (6), एवं धारा 75 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 795/2011/03(120)/XXVII(8)/07 दिनांक 20–07–2011 के बिन्दु संख्या (ग) का क्रियान्वयन तत्कालिक प्रभाव से दिनांक 31–03–2012 तक स्थगित रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

साथ ही दिनांक 20–07–2011 से इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि तक उक्त अधिसूचना के अधीन इस अवधि में देय कर एवं ब्याज की माफी का अधिकार करनिर्धारण अधिकारी को निम्न प्रतिबन्धों के साथ दिया जाता है:–

1. कर निर्धारण अधिकारी लेखा पुस्तकों की जॉच पर संतुष्ट हों कि करदाता ने इस प्रकार की बिक्री पर कोई कर वसूल नहीं किया है।
2. कर माफी से पूर्व अपने सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) से पत्रावली सहित उच्चानुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. ऐसे करदाता जिन्होंने उक्त अवधि में ग्राहकों से कर वसूल किया है, वे नियमानुसार कर जमा करायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 877/2011/03(120)/XXVII(8)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–एन0आई0सी0/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

D:/New Vigyapti/ exempt tax on Textile till 31-03-2012

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 877/2011/03(120)/XXVII(8)/07 dated 31 October, 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan

VITTA ANUBHAG-8

No. 877/2011/03(120)/XXVII(8)/07

Dehradun :: Dated: : 31 October, 2011

Notification/ Amendment

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) and (6) of section 4 and sub-section (1) of section 75 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to postpone up to 31-03-2012 the implementation of point No. (c) of the notification no. 795/2011/03(120)/XXVII(8)/07 dated 20-07-2011 with immediate effect:-

Further with effect form 20-07-2011 till the issuance of this notification the power to remit the tax and interest due under the above notification shall be exercised by the assessing authority with the following restrictions-

1. The assessing officer on examination of books of account feels satisfied that the assessee has not realised any tax on such sales.
2. The assessing officer shall seek the approval on file from the Joint Commissioner (Executive) Commercial tax of his area before remission of tax.
3. Such dealers, who have realised the tax from the purchaser shall deposit the tax as per rules.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

D:/New Vigyapti/ exempt tax on Textile till 31-03-2012